संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 4 जनवरी, 1983

जी. एस. आर. 101 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का परिवहन अधिनियम 6) की धारा 4-ख के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की कौटुम्बिक पेंशन) नियम, 1983

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारम्भ :-**(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की कौटुम्बिक पेंशन) नियम, 1983 है।

(2) ये 22 जून, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1956 की धारा 4-ख के अधीन ऐसी पेंशन के प्ररूप I में हकदार व्यक्ति द्वारा इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन- सचिव, राजस्थान विधान सभा को में किया जायेगा :

परन्तु यह कि कोई वैतनिक पद स्वीकार कर लेने पर वह व्यक्ति इन नियमों के अधीन दी जाने वाली पेंशन का हकदार और पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि वह व्यक्ति इन नियमों के अधीन पेंशन का हकदार और पात्र नहीं होगा यदि उसने पुनर्विवाह कर लिया है।

3. आवेदन-पत्र की संवीक्षा और कौटुम्बिक पेंशन के भुगतान आदेश का जारी किया जाना :-(1) इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा अधिनियम के अधीन ऐसी पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति की कौटुम्बिक पेंशन मंजूर करने के लिए ऐसे सत्यापन के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी पात्रता या अपात्रता अवधारित करेगा।

---

* प.7(1) संसद/2010 दिनांक 9 नवम्बर, 2010 w.e.f. 1 अगस्त, 2009

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसके द्वारा कौटुम्बिक पेंशन का दावा किया गया है, कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र पाया जाये तो सचिव, राजस्थान विधान सभा मृत सदस्य की पदावधि के अनवरित भाग के लिए आवेदक के पक्ष में ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से प्ररूप II में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

4. कौटुम्बिक पेंशन के संदाय की रीति :-(1) पेंशन का प्रथम संदाय और प्रति वर्ष मई और नवम्बर महीनों के पश्चातवर्ती संदाय (अधिनियम के अधीन पेंशन के हकदार व्यक्ति की बाबत) प्ररूप संख्या III में एक घोषणा पेश करने के अध्यधीन होगा।

(2) कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा प्रथम प्रति आवेदक को दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पब्लिक सैक्टर के किसी बैंक की शाखा या उस कोषाधिकारी को भेजी जाएगी, जिससे आवेदक अपनी कौटुम्बिक पेंशन लेना चाहता है। उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(3) (i) जिस व्यक्ति के पक्ष में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी किया गया है उसे इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का संदाय उसके विकल्प पर या तो राज्य में बैंक के किसी कोष से या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की मार्फत किया जायेगा। इन नियमों के अधीन उक्त पेंशन का संदाय राज्य के पेंशनर पर लागू होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की मार्फत संदाय की योजना के अनुसार जब कभी ऐसी योजना प्रारम्भ हो, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) जब कौटुम्बिक पेंशन का संदाय राज्य के किसी कोष से चाहा जायेगा तो कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का कोष वाला आधा भाग सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को कौटुम्बिक पेंशन संदाय उसके द्वारा IV में पेंशन का अभिलेख कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के पृष्ठ भाग पर रखा जाएगा और संदाय कर दिये जाने के प्रतीक स्वरूप कोषाधिकारी के अनुप्रमाणन के अधीन कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के दोनों अर्द्ध भागों पर प्रविष्टियां की जाएगी।

(4) प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा समस्त कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेशों का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें जारी, रद्द या पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेशों की विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी।

5. पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी किया जाना :- प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा को यह समाधान हो जाने पर कि नियम 3 के अधीन जारी किये गये कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, वह उसे अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने हेतु समय-समय पर, स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी कर सकेगा और पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी हो जाने पर पूर्व प्रवृत्त कौटुम्बिक पेंशन आदेश प्रभावी नहीं रहेगा :

परन्तु सम्बन्धी व्यक्ति को कारण बतलाने का नोटिस दिए बिना तथा सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नीयत के भीतर अपना अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिये बिना कौटुम्बिक पेंशन की रकम घटाई या रद्द नहीं की जाएगी।

6. कौटुम्बिक पेंशन का बंद हो जाना :- नियम 3 के उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन ऐसी पेंशन के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और पेंशन प्राप्तकर्त्ता के राजस्थान विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने की दशा में ऐसे निर्वाचन की तारीख से कौटुम्बिक पेंशन का संदाय बन्द हो जाएगा और तत्समय प्रवृत्त कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश यथास्थिति जिस व्यक्ति के कब्जे में हो उसके द्वारा या पेंशन प्राप्तकर्त्ता द्वारा सचिव, राजस्थान विधान सभा को लौटा दिया जाएगा।

प्ररूप-1

कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

(देखिए नियम-2)

प्रेषक :-

श्री...

पत्नी/पति/पुत्र/भूतपूर्व सदस्य......................................राजस्थान विधान सभा

प्रेषिती :-

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का मंजूर किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन मैं, मेरे/मेरी/पति/पत्नी/पिता/पुत्र या पुत्री श्री/श्रीमती...के निम्नलिखित कालावधियों तक...................का/की सदस्य रहने के कारण पेंशन पाने का हकदार हूं :-

(i) राजस्थान विधान सभा का/की सदस्य.................से...................तक

2. निवेदन है कि मुझे..को पेंशन मंजूर किये जाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाये। मैं...............................अपनी मंजूर किये जाने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की शाखा...कोष/उप-कोष.....................................से लेना चाहता हूं/चाहती हूं।

3. मैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/संसद या राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज इससे संलग्न कर रहा/रही हूं :-

(1) नमूने के तीन हस्ताक्षर

(2) पासपोर्ट आकार की तीन नवीनतम फोटो

मेरा वर्तमान पता……………………………………………………………........

…………………………………………………………………..……………….

मेरा स्थायी पता…………………………….………………………………….

……………………………………………………………...………………….

5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं :-

(1) मैं…………………………………………….राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचित पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद अथवा संघ राज्य के किसी क्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूं।

(2) मैं…………………………………....राज्य सभा अथवा लोक सभा अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् अथवा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूं।

(3) मैं…………………………………...केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन के अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी निगम का/की वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं हूं अथवा मैं/हम उक्त या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक पाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं हूं/हैं।

(4) मैं………………………..के पद पर कार्य कर रहा हूं/रही हूं/हैं अथवा………..का/की सदस्य हूं/हैं अथवा…………………………..के पद पर अथवा……………………………………………..मैं नियुक्त हूं/हैं और प्रति माह पारिश्रमिक प्राप्त करता/करती हूं।

(5) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...की ओर से यह आवेदन...............................के कारण प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं।यह आवेदन बतौर वारिस केवल बकाया राशि के लिए है।

(6) पेंशन प्राप्तकर्त्ता का पहचान चिन्ह।

(7) मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम (साफ-साफ अक्षरों में)...

स्थान...

तारीख..............................

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक राजस्थान विधान सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....................................से................................तक

.....................................से................................तक

.....................................से................................तक

.....................................से................................तक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

.....................................से................................तक

.....................................से................................तक

.....................................से................................तक

सीनियर टेबल आफिसर,

लोक सभा सचिवालय।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी…………………………………..

(सुपाठ्य अक्षरों में)

निम्नलिखित कालावधि तक राजस्थान विधान सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

…………………………………...से…………………………...तक

…………………………………...से…………………………...तक

…………………………………...से…………………………...तक

…………………………………...से…………………………...तक

सीनियर टेबल आफिसर,

लोक सभा सचिवालय।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर, दिनांक………………..20

अगला आदेश होने तक और प्रत्येक महीने की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी….. ……………………………...अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी…………………………….. को…………….रुपये की राशि का संदाय करें, जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की रकम है और जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन संदेय
कौटुम्बिक पेंशन की रकम …………………..रुपये

अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन
प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक/पेंशन की रकम
घटाइये। …………………..रुपये

संदेय पेंशन की शुद्ध रकम …………..………..रुपये

संदाय दिनांक……………...से आरम्भ होना चाहिये तथा तारीख……………….. ……………………..तक का संदाय किया जाए।

हस्ताक्षर…………………

सचिव,

राजस्थान विधान सभा।

प्ररूप-II

(देखिए नियम-3)

पेंशन संदाय आदेश

(तीन प्रतियों में)

(1) रकम संवितरक अधिकारी का भाग

(2) पेंशन पाने वाले का भाग

(3) कार्यालय

राज्य सरकार को विकलनीय

लेखा शीर्ष :-

फोटो

मुख्य शीर्ष…………………

लघु शीर्ष………………………

दत्तमत्त……………………..…

1. पेंशनर का नाम…………………………………………
   (क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम…………………………….
2. निवास स्थान का पता………………………………….
   गांव तथा उप खण्ड……………………………………….
3. पेंशनर का पहचान चिन्ह……………………………….

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य नियम 2 के
परन्तुक के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति का
सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो

4. पेंशन की श्रेणी राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की, परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन पेंशन
5. मासिक पेंशन की रकम रुपये……………………………….(अंकों में)
   रुपये…………………………………….(शब्दों में)

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य/नियम 2
के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

6. तारीख………………..से…………………...तक का भुगतान किया जाये।
7. भुगतान-कार्यालय और स्थान……………………………..

प्रमुख सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर

पेंशन की रकम रुपये..(शब्दों में) रकम संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान के नीचे अभिलिखित किया जाये।

माह जिसके लिए पेंशन देय है		**19**		**19**	**19**
भुगतान की तारीख	**रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**	**भुगतान की तारीख**	**रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**	**भुगतान की तारीख**	**रकम संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**
मार्च					
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					

प्ररूप-III

घोषणा

(नियम 2 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रथम तथा पश्चातवर्ती वर्ष में दो बार अर्थात् मई और नवम्बर में पेंशन बिल के साथ प्रस्तुत किया जाये)

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं.. दिनांक 22.6.1977 या.. (द्वितीय या पश्चातवर्ती घोषणाओं की दशा में यहां अन्तिम घोषणा की तारीख लिखें) से...रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक/वेतन पर दिनांक.......................से..............................तक के रूप में निर्वाचित/नाम निर्दिष्ट/नियुक्त हुआहूं/हुईहूं।

2. मैं,…………………………………………………………………………..

राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक पद पर निर्वाचित/नियुक्त नहीं हु आ हूं/हु ई हूं, अथवा

3. मैं,…………………………………………………………………………..

राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूं, अथवा

4. मैं,…………………………………………………………………………

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम का वेतन पर नियोजित कर्मचारी नहीं हूं, अथवा

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी……………………………………………...उक्त सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पारिश्रमिक पाने का/की अन्यथा हकदार नहीं हूं, अथवा

5. मैं,………………………………………………………..……..के पद पर कार्य कर रहा/रही हूं अथवा…………………………...की/की सदस्य हूं अथवा…………… के रूप में नियुक्त हूं (यहां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के कार्यालय का नाम लिखें) और मुझे…………………………..रुपये प्रति माह कुल पारिश्रमिक मिलता है।

6. मैंने पुनर्विवाह नहीं किया।

…………………………………..

हस्ताक्षर

पता………………………………..

……………………………………

……………………………………

प्ररूप-IV

राजस्थान विधान सभा

कौटुम्बिक पेंशन बिल

प्रति माह……………………….रुपये पेंशन भुगतान आदेश संख्या……………

दिनांक……………………

ज्ञापन :- इस प्ररूप का उपयोग अगला बिल प्रस्तुत करने के लिये किया जाये।

माह……………………………………

वर्ष………...………के भुगतानों की सूची

के वाउचर………………………………

जिला…………………………………लेखा मद संख्या…………………………..

………………………………………………………………………………………

मुझे माह…………………...20…………………..……..की मुझे देय पेंशन की रकम………………………………...रुपये प्राप्त हो गई है।

आयकर कटौती……………………………………………...रुपये

शुद्ध रकम…………………………………………………...रुपये

रुपये (शब्दों में)……………………………………………………….

स्थान……………….

तारीख……………….

पेंशनर का पता	पेंशनर	भुगतान प्राप्त किया
	मैं पहचानता हूं	
	(हस्ताक्षर)	रेवेन्यू टिकट पेंशनर
	पद नाम तथा पता	

स्वयं के उपस्थित होने की दशा में दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(सिवाय इसके कि जहां किसी नियम या आदेश ऐसा प्रमाण-पत्र आवश्यक न हो)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर को देखा है और यह कि वह जीवित है और उसने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

तारीख……………………… नाम…………………………..

पदनाम………………………..

पेंशनर द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला पृष्ठांकन

कृपया………………………………….को भुगतान करें।

पेंशनर

खजाने के उपयोग हेतु

………………………………….बैंक/खजाना

……………………….रुपये का भुगतान करें।

…………………लेखे में विकलित किया गया।

लेखाकार

तारीख………… कोषाधिकारी या उप-कोषाधिकारी

प्राप्तकर्त्ता की रसीद

भुगतान प्राप्त किया वाहक या अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

मैं पहचानता हूं

हस्ताक्षर………………………

पद नाम या पता………………..

बैंक/खजाने के लिये

……………रुपये……………….(शब्दों में) का भुगतान किया गया।

बैंक/कोषपाल

राजस्थान विधान सभा कार्यालय के उपयोग हेतु

…………………………रुपये स्वीकृत किये गये।

…………………………रुपये पर आपत्ति उठाई गई।

अंकेक्षक अधीक्षक प्रमुख सचिव